उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1958 ई0)

THE UTTAR PRADESH HOUSE SITES (FLOOD AFFECTED AREAS) (TEMPORARY POWERS) ACT, 1957

(U.P. Act No. III of 1958)

उत्तर प्रदेश गृह–स्थल (बाढ़–पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1958 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 52, 1976

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1957 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1957 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 19 जनवरी, 1958 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1958 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

बाढ़–पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा उनके गृह–स्थलों के अविरत अध्यासन के निमित्त व्यवस्था करने का

अधिनियम

बाढ़–पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह–स्थलों के अविरत अध्यासन की व्यवस्था करने के निमित्त, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 13 के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश गृह–स्थल (बाढ़–पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, 1957 प्रख्यापित किया था;

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 3, 1957

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के एक अधिनियम की व्यवस्था की जाय ;

अतएव्, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गृह–स्थल (बाढ़–पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1957 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

[2][(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।]

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :

ऐक्ट संख्या 10, 1897

(1) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1897 की धारा 3 में शब्द सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को दिया गया ।

(2) "बाढ़–पीड़ित क्षेत्र" का अर्थ है ऐसा क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे ;

(3) "विज्ञापित दिनांक" तथा "विज्ञापित अवधि" का अर्थ है ऐसा दिनांक तथा ऐसी

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 3 दिसम्बर, 1957 का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

2. बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के द्वारा या अधीन बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उपधारा (3) अधिनियम संख्या 52, 1976 के अनुसार निकाल दी गई ।

अवधि, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करें ;

(4) "नियत" का अर्थ इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत है ; तथा

(5) "राज्य सरकार" का अर्थ उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

बाढ़–पीड़ित क्षेंत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृहस्थलों के अविरत अध्यासन के संबंध में घोषणा

3–(1) यदि राज्य सरकार के मत में यह आवश्यक अथवा इष्टकर हो कि किसी क्षेत्र मे विज्ञापित अवधि में बाढ़–पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाये तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र को बाढ़–पीड़ित क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

(2) बाढ़–पीड़ित क्षेत्र में वे सब गृह–स्थल जिनके घर वर्षा अथवा बाढ़ के कारण पूर्णतः अथवा अंशतः गिर गये हों या क्षति हो गये हों, और जो किसी संविदा, रूढ़ि अथवा प्रथा के अनुसार, विज्ञापित दिनांक को किसी व्यक्ति द्वारा भवन–निर्माण के प्रयोजनों से अधिकृत अथवा अध्यासित हों, उस व्यक्ति द्वारा उन प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो नियत किये जायें, अधिकृत अथवा अध्यासित बने रहेंगे, भले ही इसके विरूद्ध कोई संविदा, रूढ़ि या प्रथा, अथवा विधि के उपबन्ध हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि घर एक वर्ष की अवधि, अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करें पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित कर लिया जायगा या उसकों मरम्मत कर ली जायगी ।

(3) इस अधिनियम की कोई भी बात उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों को जिनके अधीन गृह–स्थल मूलतः अभिगृहीत अथवा अध्यासित किया गया था, प्रभावित नही करेगी, सिवाय उस मात्रा तक कि जिस तक कि इस अधिनियम के अधीन अध्यासी को गृह–स्थल पर अधिकार अथवा अध्यासन बनाये रखने और साथ ही साथ अपने घर की मरम्मत अथवा उसका पुनः प्रतिरूपण या पुनः निर्माण करने का स्वामित्व हो ।

अपवाद

4–इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह–स्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो ।

नियम बनाने की शक्ति

5–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीर्घ, राज्य विधान मण्डल के समक्ष कम से कम 14 दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मण्डल उनमें करे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1957 का निरसन

यू0 पी0 ऐक्ट 1, 1904

6–उत्तर प्रदेश गृह स्थल (बाढ़–पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, 1957 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन रहा हो ।